कायदा 129)

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी

बहक श्री कल्लय
पुत्र श्री जमालखां
जाति देशवाली नि. हरसौर

मुकदमा नं. 25 /2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम भकरी मौलास खसरा नम्बर 989, 995 1019 रकबा 1.62 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री कल्लय पुत्र श्री जमालखां जाति देशवाली निवासी हरसौर (जिसे आगे अप्राथी कहा गया है) द्वारा मय/रुवार की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्राथी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्राथी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्राथी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्राथी को नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल। अप्राथी द्वारा किसी प्रकार का स्वयं उपस्थित/जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम भकरी मौलास ख.न. 989, 995, 1019 रकबा 1.62 किस्म गै.मु. मगरा पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर मय/रुवार की काश्त कर अतिकमण किये जाने पर अप्राथी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :-

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रुपया 6रू. प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 486 रु. (रूपये चार सौ छियासी रूपये) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी निर्णय की .... भु. अभिलेख निरीक्षक बासोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

रोजनामचा न. वर्ष 2018-19 के पृष्ठ सं. 54 पर .... 486/— ....00 की .... है।

तहसील .... (हस्ताक्षर)